उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0- सी-239 /विधि-2/05-06 दिनांकः- 18·02·06

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल ।

बैंक के परिपत्र सं0 सी-225/विधि-2/05-06, दिनांकः-31.01.06 के द्वारा समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धकों को निर्देशित किया जा चुका है कि वसूली सम्बन्धी दीवानी न्यायालयों में दायर वादों की स्वीकृति उप महाप्रबन्धक (विधि) से प्राप्त करने के उपरान्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक जनपद के पेनल अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जवाबदावा हस्ताक्षर कर दाखिल करेगें।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जहॉ मुकदमों की पैरवी हेतु पेनल गठन/पुर्नगठन की आवश्यकता हो वहॉ सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक निम्नलिखित शर्तो के अधीन पेनल का गठन, उप महाप्रबन्धक (विधि) को अधिवक्ताओं का सम्पूर्ण विवरण प्रेषित करते हुये तत्काल करा लें ।

1. प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहॉ न्यायालय स्थित है पेनल बनाया जाये।
2. वर्तमान पेनल के ऐसे वकील जिनका कार्य अब तक ठीक रहा है और 50% से अधिक मुकदमें बैंक पक्ष में उनके द्वारा निर्णीत कराये गये हैं तो उन्हें पेनल में बनाए रक्खा जाय।
3. पेनल में जो वकील रखे जॉय उनको कम से कम 05 वर्ष का वकालत का अनुभव अवश्य हो।
4. पेनल मे वहीं वकील रक्खे जॉय जो बैंक के विरूद्ध किसी मुकदमें में प्रतिपक्षी के वकील न हो। बैंक के विरूद्ध कार्य करने पर उन्हें तत्काल पेनल से निष्कासित कर दिया जायेगा।
5. पेनल में रखे गये वकीलों को जनरल रूल्स सिविल में निर्धारित दरों एवं प्रक्रिया के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।
6. पेनल के वकीलों का यह दायित्व होगा कि बैंक से सम्बन्धित विधिक मामलों में आवश्यकता पड़ने पर विधिक परामर्श निःशुल्क उपलब्ध करावें।
7. पेनल में 3 से 5 तक वकील रक्खे जॉय जिसमें कम से कम दो वकील पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के रक्खें जॉय।

16/2/06

(एम0 के0 द्विवेदी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण) उ0 प्र0 स0 ग्रा0 वि0 बैंक लि0,10 माल एवेन्यू, लखनऊ।
3. वैयक्तिक सहायक, सभापति को माननीय सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

16/2/06

प्रबन्ध निदेशक